Department of political science
D. B. College, Jaynagar.
B. A. III – Pub – Ad.

BY- DR. A. K. Yadav
Asstt Prof (G.P.T.T)
Political science

Lecture No- 14 And 15 Date- 13-10-2020

केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण
(Centralisation And Decentralisation)

केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिससे संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का पता चलता है। केन्द्रीयकरण का अर्थ है सत्ता को संगठन के उच्च स्तर पर केन्द्रित करना। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने की शक्ति को प्रशासनिक संगठन के उच्च अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है तथा संगठन के निचले स्तर के अधिकारी प्रत्येक निर्देश, सलाह तथा स्पष्टीकरण हेतु ऊपरी स्तर के अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। संक्षेप में केन्द्रीकरण की प्रवृति का लक्षण केन्द्रीयकृत कार्य, जिसके लिए अधिकारियों की शक्ति संगठन के शीर्ष स्तर पर केन्द्रीयकृत कर ली जाती है। जबकि विकेन्द्रीकरण संगठन के अनेक स्तरों तथा व्यक्तियों के बीच सत्ता की विभाजन की व्यवस्था है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का मूल तत्व सत्ता का स्थानान्तरण होता है जिससे अधीनस्थ अधिकारियों को स्वेच्छा से कार्य करने का अधिकार सौंपा जाता है तथा शीर्षस्थ-अधिकारियों का समस्या से कम से कम सम्बन्ध रहता है। इस व्यवस्था में निर्वाचित स्थानीय के हाथों में अधिक शक्ति दी जाती है जिससे प्रशासन के कार्यों में जनता का पूर्ण सहयोग रहता है। ऐसी व्यवस्था में मुख्य कार्यालय से दूर जनता के निकट की क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। उन्हें विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों की स्वतंत्रता दी जाती है। संक्षेप में विकेन्द्रीकरण में प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण में जनतांत्रिक तरीकों को अपनाया जाता है जिसके फलस्वरूप संगठन के निम्न अधिकारियों को भी कई मामले में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण का मुख्य तत्व निर्णय शक्ति के वितरण में नहीं है।

अन्ततः केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण में अन्तर केवल मात्रा का है, गुण का नहीं। अगर किसी संगठन में अधीनस्थ कार्यालय कम हो,

Scanned with CamScanner

तो वह उतना ही केन्द्रीयकृत होगा। परन्तु अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या अधिक हो तो वहां विकेन्द्रीकरण की मात्रा अधिक होगी। अगर कोई व्यवस्था पूरी तरह केन्द्रित है, तो संगठन का अध्यक्ष कार्यभार से दबकर रह जायेगा और विकेन्द्रीकरण ज्यादा होगा, तो संगठन में ढीलापन रहेगा।

केन्द्रीयकरण के गुण या लाभ
(Merits or Advantages of centralisation)

① केन्द्रीकरण व्यवस्था में प्रशासन के सभी अंगों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सुविधा होती है।

② केन्द्रीयकृत व्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययी होती है, क्योंकि इससे ऊपरी व्यक्ति खर्च (over head cost) कम हो जाती है।

③ इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि शासन में एकरूपता रहती है तथा पूरे देश में सामान्य सिद्धान्त के आधार पर कार्य किए जाते हैं।

④ इस व्यवस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति में पक्षपात नहीं होता है तथा वस्तुओं की खरीद-बिक्री में शक्तियों का दुरूपयोग कम होता है।

⑤ इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी की भावना कम होती है।

केन्द्रीयकरण के दोष या अवगुण
(Demerits of centralisation)

① केन्द्रीयकृत व्यवस्था में स्थानीय समस्याओं का हल ठीक-ठाक नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थानीय समस्याओं का केन्द्रीय पदाधिकारियों को समुचित ज्ञान नहीं होता है।

② केन्द्रीयकृत व्यवस्था में कर्मचारियों पर कार्य का बोझा इतना होता है कि वे इन्हें अच्छी तरह सम्भाल नहीं पाते हैं।

③ प्रशासन की स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं रखने के कारण केन्द्रीयकृत व्यवस्था में गलत निर्णय लेने की सम्भावना अधिक होती है।

④ इस व्यवस्था में अधीनस्थ कर्मचारियों को विशेष प्रशासकीय अनुभव नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इन्हें स्वयं निर्णय लेने अथवा कदम उठाने की छूट नहीं होती है।

⑤ केन्द्रीयकृत शासन में कठोरता एवं अनियमितता ज्यादा होती है।

End.

Conti →

Scanned with CamScanner